न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 579/2017

कासम पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान
निवासी पांधी का पार, तहसील रामसर
जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. सरीफा पत्नी ऐलियास
2. जमा पुत्र जलाल
   दोनों जाति मुसलमान निवासी पांधी का पार
   तहसील रामसर, जिला बाडमेर
3. सेराज पुत्र कम्मीर
4. खमा पुत्र कम्मीर
5. अजला पुत्र कम्मीर
6. सखर पुत्र इस्माल
7. रहमान पुत्र इस्माल
8. अदरूफ पुत्र इस्माल
9. सलीम पुत्र मोहेब
10. अब्दुल रहीम पुत्र मोहेब
11. अमीर पुत्र रमदान
12. हमीर पुत्र रमदान
13. जिमा पुत्र रमदान
14. रहमान पुत्र मियाजल
15. कमरा पुत्र मियाजल
16. मोहम्मद पुत्र मियाजल
17. अकबर पुत्र जैसा
18. सखी पुत्र जैसा
19. कमरूद्दीन पुत्र जैसा
20. जिमाल पुत्र जैसा
21. साबु पुत्र खिदर
22. हाजी सिलेमान पुत्र फता
    सभी जाति मुसलमान, निवासी पांधी का पार
    तहसील रामसर, जिला बाडमेर

रेस्पो....

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड
अधिकारी रामसर दिनांक 17 जून 2011
प्रकरण संख्या 7/2011 सरीफा व अन्य बनाम
सेराज आदि

उपस्थित–
श्री एम. एल. खत्री, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 08 अक्तूबर, 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा प्रकरण संख्या 7/2011 सरीफा व अन्य बनाम सेराज आदि में पारित आदेश दिनांक 17 जून 2011 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलाण्ट को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का भी निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. संख्या 1 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 आराजी खसरा संख्या 207/44 रकबा 126 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 209/44 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा पांधी का पार की नेखमबंदी हेतु प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2011 को स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलण्ट आराजी खसरा संख्या 70 वाके मौजा हुसैन की ढाणी का रिकार्डेड सहखातेदार एवं प्रार्थी–रेस्पो. का खेत–पडौसी है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन पारित अपीलाधीन आदेश के अपीलाण्ट की खातेदारी खसरा संख्या 70 की करीब 20 बीघा भूमि प्रभावित होती है। अतः अपीलाण्ट इस मामले में हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होने से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

आलौच्य अपील प्रस्तुत करने का मुश्तहक है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि मामले से हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होते हुए भी अपीलाण्ट को विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं किया गया और न ही अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। जिससे विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र की कार्यवाही और अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हुई। वर्ष 2017 में मौके पर अपीलाण्ट की बोयी हुई फसल रेस्पो. काटकर ले गये, तब आपत्ति करने पर नेखमबंदी बाबत अपीलाधीन आदेश बाबत बताया गया तो अपीलाण्ट द्वारा जांच पडताल की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है।

गुणावगुण बाबत अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि की नेखमबंदी बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में सभी खेत–पडौसियान को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया, जिससे उसका प्रार्थनापत्र संधारण योग्य नहीं होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करने में गम्भीर विधिक भूल की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर स्वीकार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि प्रार्थी–रेस्पो. संख्या एक द्वारा आराजी खसरा संख्या 70 के सहखातेदारान (अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9) सहित अन्य खेत–पडौसियान को पक्षकार संयोजित करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष नेखमबंदी हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार किया गया है। आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद–बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2072–2075 ग्राम हुसैन की ढाणी पटवार हळका पांधी का पार का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि खसरा संख्या 70 बाबत कॉलम संख्या 4 में सलीम अब्दुल रहीम पिसरान मोहिब ईस्माईल हबीबला मोहम्मद हसण, अब्दुलहक, कासम, कमरदीन, मोहम्मद अली पिसरान वली मोहम्मद सतवाई पत्नी वली मोहम्मद कौम मुसलमान साकिन पांधी का पार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खातेदार दर्ज है। प्रार्थी–रेस्पो. संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 207/44 रकबा 126 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 209/44 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा पांधी का पार की नेखमबंदी हेतु जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, उसमें अपनी खातेदारी भूमि के पडौस में स्थित खसरा संख्या 70 के उक्त सहखातेदारान में से मात्र कुछ सहखातेदारान को ही पक्षकार संयोजित किया गया है, अपीलाण्ट कासम सहित प्रत्येक सहखातेदार को प्रार्थनापत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि अपीलाण्ट को मामले से हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी विचारण न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जिससे अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जून 2011 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में अपीलाण्ट को बतौर अप्रार्थी संयोजित किया जावे और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद प्रकरण का न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08 अक्तूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर